सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 16, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 08, *2024* *Asvina 16, Tuesday, Saka 1946- October 08, 2024*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 07, 2024

संख्या एफ 1(38)परि/स्था/92/15186 :-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(38)परि/स्था/92/13222 दिनांक 28-08-2024 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार श्रीमती रेणु खण्डेलवाल, आर.ए.एस को एतद् द्वारा जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, अलवर, उदयपुर, जोधपुर-प्रथम, जोधपुर-द्वितीय, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौडगढ, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अन्तर्गत ट्यूरिस्ट परमिट को छोडकर सभी प्रकार के परिवहन यानों के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

गोपाल सिंह,
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.),
एवं संयुक्त शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।